संख्या-03/2018/1620/29-6-2018-616/17

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 30 जुलाई,2018

विषय:-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में हॉरिजेण्टल आरक्षण सम्बन्धी निर्गत दिशा-निर्देश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2714/29-6-2002-162सा/2001, दिनांक 17-08-2002 एवं शासनादेश संख्या'-2715/29-6-2002-162सा/ 2001, दिनांक 17-08-2002 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-3(ख) में सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल हुए सैनिक के परिवार के सदस्य, भूतपूर्व सैनिक को 08 प्रतिशत होरिजेण्टल आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गये एवं घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र बल के परिवार के सदस्यों को उचित दर दुकानों में होरिजेण्टल आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु सम्यक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

विचारोपरान्त उक्त शासनादेशों के प्रस्तर-3(ख) में दी गयी व्यवस्था के स्थान पर निम्न व्यवस्था रखे जाने का निर्णय लिया गया है:-

"सम्बन्धित आरक्षित श्रेणियों के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गये केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल हुए सैनिक अथवा उसके परिवार के सदस्य, कर्तव्य निर्वहन के दौरान घायल हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य अथवा उसके परिवार के सदस्य तथा भूतपूर्व सैनिक----08 प्रतिशत।"

3- कृपया तदनुसार दिनांक 17-08-2002 के उक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीया,

निवेदिता शुक्ला वर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या-03/2018/1620/(1)/29-6-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
3- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,उ0प्र0।
4- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य),उ0प्र0।
5- समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,उ0प्र0।
6- गृह (पुलिस) अनुभाग-16 को उनके पत्र संख्या-1517/छ:-पु0-16-18-1100(16)/2018, दिनांक 15-06-2018 के सन्दर्भ में।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।